(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1)

Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Education/Siksha Mantralaya
Department of Higher Education/Uchchatar Siksha Vibhag
ICR Division

Shastri Bhavan, New Delhi
Dated: 05th May, 2025

NOTIFICATION

No.10-6/2024-U.3(A): Whereas, Amrita Vishwa Vidyapeetham (Deemed to be University), Coimbatore, Tamil Nadu submitted an online application on UGC Portal to start an off-campus Centre at Amritagiri, Erachakulam (P.O.), Nagercoil, Kanyakumari, Tamil Nadu by taking over an affiliated college namely Amrita College of Engineering & Technology, Sun Nagar, Kanyakumari, Nagercoil, Tamil Nadu as per the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023.

2. **And whereas,** UGC, vide its letter No.40-17 /2024 (CPP-l/DU) dated 20.08.2024, informed that the application was examined through a Standing Committee. The Committee, after presentation of the Institution and based on the documents submitted, recommended for issuance of Letter of Intent (LoI) to Amrita Vishwa Vidyapeetham (Deemed to be University), Coimbatore, Tamil Nadu with certain conditions.

3. **And whereas,** in exercise of the powers conferred by Clause 8 (6J of UGC Regulations, 2023, the Ministry, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (Lol) to Amrita Vishwa Vidyapeetham (Deemed to be University), Coimbatore, Tamil Nadu for fulfilment of the certain conditions within a period of 3 years before starting an off-campus at Amritagiri, Erachakulam (P.O.), Nagercoil, Kanyakumari, Tamil Nadu.

4. **And further whereas**, the Registrar, Amrita Vishwa Vidyapeetham (Deemed to be University), Coimbatore, Tamil Nadu, vide his letter dated 06.09.2024, submitted compliance report in respect of fulfilment of the conditions of the LoI which was then sent to UGC for verification and advice. UGC, vide letter No. F. 40-17/2024 (CPP-I/DU) dated 18.03.2025, conveyed that the compliance report was accepted by the Standing Committee.

5. **Now, therefore**, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby accords approval to Amrita Vishwa Vidyapeetham (Deemed to be University), Coimbatore, Tamil Nadu to start an off-campus centre by taking over an affiliated college namely Amrita College of Engineering & Technology, Sun Nagar, Kanyakumari, Nagercoil, Tamil Nadu.

6. All other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to

पृ.त.

time, shall continue to be adhered by Amrita Vishwa Vidyapeetham (Deemed to be University), Coimbatore, Tamil Nadu.

पु.कि. बनर्जी

(Purnendu Kishore Banerjee)
Joint Secretary to the Government of India
Tel: +91 11 2338 3432

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi – 110002

Copy forwarded to:

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.
2. The Vice-Chancellor, Amrita Vishwa Vidyapeetham (Deemed to be University), Coimbatore, Tamil Nadu.
3. The Secretary, Department of Higher & Technical Education, Government of Tamil Nadu.
4. The Vice-Chancellor, Anna University, Sardar Patel Road, Chennai-600025, Tamil Nadu. It is requested to take necessary action for progressive closure and dis-affiliation of Amrita College of Engineering & Technology, Nagercoil, Tamil Nadu from Anna University.
5. The Member Secretary, All India Council for Technical Education, Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070.
6. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary General, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Marg, New Delhi-2.
8. Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi. It is requested that CMIS Unit may kindly be instructed to display the Notification on the website (Home site) of the Department.
9. Guard file / Notification file.

(Jyoti Ranjan)
Under Secretary to the Government of India
Telephone No.23381578

(भारत के राजपत्र भाग-I खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
आईसीआर अनुभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 05 मई, 2025

अधिसूचना

सं.10-6/2024-यू.3(ए): जबकि, अमृता विश्व विद्यापीठम (सम विश्वविद्यालय), कोयंबटूर, तमिलनाडु ने यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार अमृता कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सन नगर, कन्याकुमारी, नागरकोइल, तमिलनाडु नामक एक संबद्ध कॉलेज को अधिग्रहित करके अमृतागिरी, एराचकुलम (पी.ओ.), नागरकोइल, कन्याकुमारी, तमिलनाडु में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने के लिए यूजीसी पोर्टल पर एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया।

2. **और जबकि,** यूजीसी ने दिनांक 20.08.2024 के अपने पत्र संख्या 40-17/2024 (सीपीपी-1/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि आवेदन की जांच एक स्थायी समिति के माध्यम से की गई। संस्था की प्रस्तुति के बाद और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर समिति ने कुछ शर्तों के साथ अमृता विश्व विद्यापीठम (सम विश्वविद्यालय), कोयंबटूर, तमिलनाडु को आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की।

3. **और जबकि,** यूजीसी विनियम, 2023 की खंड 8 (6जे) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर, अमृतागिरि, एराचकुलम (पी.ओ.), नागरकोइल, कन्याकुमारी, तमिलनाडु में ऑफ-कैंपस शुरू करने से पूर्व 3 वर्ष की अवधि के भीतर कुछ शर्तों को पूरा करने हेतु अमृता विश्व विद्यापीठम (सम विश्वविद्यालय), कोयंबटूर, तमिलनाडु को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया।

4. **और इसके अतिरिक्त जबकि,** कुलसचिव, अमृता विश्व विद्यापीठम (सम विश्वविद्यालय), कोयंबटूर, तमिलनाडु ने दिनांक 06.09.2024 के अपने पत्र के माध्यम से आशय पत्र की शर्तों को पूरा करने के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे सत्यापन और सलाह हेतु यूजीसी को प्रेषित किया गया। यूजीसी ने दिनांक 18.03.2025 के पत्र सं. एफ 40-17/2024 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से बताया कि अनुपालन रिपोर्ट को स्थायी समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

5. **अब, इसलिए,** यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, एदतद्वारा अमृता विश्व विद्यापीठम (सम विश्वविद्यालय), कोयंबटूर, तमिलनाडु को एक संबद्ध कॉलेज अर्थात् अमृता कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी,

सन नगर, कन्याकुमारी, नागरकोइल, तमिलनाडु का अधिग्रहण करके एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने का अनुमोदन देता है।

6. इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचनाओं तथा समय-समय पर जारी यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों के नियमों/विनियमों में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों का अमृता विश्व विद्यापीठम (सम विश्वविद्यालय), कोयम्बटूर, तमिलनाडु द्वारा पालन किया जाना जारी रहेगा।

प्रीकिशोर

(पूर्णेंदु किशोर बनर्जी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन : +91 11 2338 3432

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड, नई दिल्ली - 110002

प्रति अग्रेषित:

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
2. कुलपति, अमृता विश्व विद्यापीठम (सम विश्वविद्यालय), कोयंबटूर, तमिलनाडु।
3. सचिव, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, तमिलनाडु सरकार।
4. कुलपति, अन्ना विश्वविद्यालय, सरदार पटेल रोड, चेन्नई-600025, तमिलनाडु। अनुरोध है कि अमृता कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, नागरकोइल, तमिलनाडु को अन्ना विश्वविद्यालय से क्रमिक रूप से बंद करने और उसकी संबद्धता समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।
5. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070।
6. प्रेस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
7. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-2।
8. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। अनुरोध है कि सीएमआईएस यूनिट को निर्देश दिया जाए कि वे विभाग की वेबसाइट (होम साइट) पर अधिसूचना प्रदर्शित करें।
9. गार्ड फाइल/अधिसूचना फाइल।

रंजन

(ज्योति रंजन)
अवर सचिव भारत सरकार
टेलीफोन सं. 23381578